फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी
लिछमण

बनाम

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
रामेश्वरलाल वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद पत्र

मुकदमा नं. 67 / 2022

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
05/5/26.	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण वर्ष–2022 से तलबी में चल रहा है। प्रकरण में आदिनांक तक तामील नहीं करवाई है। मिसल में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना करते हुए एक अन्तिम अवसर हिदायत के साथ दिया जाता है कि आगामी पेशी पर RAD सम्मन रिपोर्ट डिलीवरी पेश करें। अन्यथा प्रकरण CPC 09 R 2 के तहत खारिज किया जावेगा। मिसल दिनांक 15/5/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 88,53,188 आरटीएक्ट के तहत दिनांक 09.03.2022 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील वादी के निवेदन पर वकील वादी को पूर्व में अनेक अवसर एवं दिनांक 05.05.2026 को हिदायत के साथ अन्तिम अवसर प्रदत्त किये गये है। परन्तु वकील वादी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक रजिस्र्ड सम्मन तामील हेतु पेश नहीं किये। तथा ना ही साबिका आदेश की पालना में आज दिनांक को सम्मन तलबाना पेश किये। अतः वादपत्र अधीन धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बावजूद पर्याप्त अवसर प्रतिवादीगण की तामील किये जाने हेतु दिये जाने पर भी तलबी नहीं कराने एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश–9 नियम–5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	